HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 1800/2026
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1929/2026
CNR: RJHC020814312026 | URN: CRLAS / 3379U / 2026

Samay Singh @ Sambho @ Shibbo Son Of Tursi, Resident Of Boroliran, Police Station Nadbai, District Bharatpur (Raj.).

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Omprkash Son Of Ram Singh, Resident Of Baroliran, Nadbai, District Bharatpur.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Tripurari Sharma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Naresh Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

09/09/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त **समय सिंह उर्फ सम्भो उर्फ शिब्बो पुत्र तुरसी** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, भरतपुर (राज.)** के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या– 56/2023 उनवान **राजस्थान राज्य बनाम समयसिंह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **10.08.2026** जिसके द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा **323, 341, 325 भा.दं.सं तथा 3(1)(r), 3(1)(s) एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैः

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड

323 भा.दं.सं.	**01 वर्ष का साधारण कारावास**	**–**	**–**
341 भा.दं.सं	**01 माह का साधारण कारावास**	**–**	**–**
325 भा.दं.सं	**03 वर्ष का साधारण कारावास**	**10,000/– रुपये**	**06 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त**
3(1)(r) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	**03 वर्ष का साधारण कारावास**	**5,000/– रुपये**	**01 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त**
3(1)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	**03 वर्ष का साधारण कारावास**	**5,000/– रुपये**	**01 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त**
धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत निम्नलिखित धाराओं में पृथक्–पृथक् दंड			
अन्तर्गत धारा	**सजा**	**अर्थदण्ड**	**अदम अदायगी अर्थदण्ड**
323 भा.दं.सं.	**–**	**1,000/– रुपये**	**01 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त**
341 भा.दं.सं	**–**	**500/– रुपये**	**07 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त**
325 भा.दं.सं	**03 वर्ष का साधारण कारावास**	**5,000/– रुपये**	**03 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त**

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है एवं उसे इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक **10.08.2026** पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं

है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रस्तुत समस्त गवाहान हितबद्ध साक्षी हैं, किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में घटना की रिपोर्ट भी घटना के काफी विलंब से दर्ज कराई गई है एवं उसे देरी से दर्ज कराने का कारण भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में मजरूब को गंभीर उपहति कारित होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने विद्वान् विचारण न्यायालय में रेडियोलॉजिस्ट एवं दंत चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में घटनास्थल लोक स्थान होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है, उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी–अभियुक्त की सजा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2026 तक अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे रिहा किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया, साथ ही कथन किया कि पीड़ित/परिवादी पक्ष को उक्त सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में सूचित किया जा चुका है, किंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6. हमने पत्रावली का मय रिकॉर्ड सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर

टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **समय सिंह उर्फ सम्भो उर्फ शिब्बो पुत्र तुरसी** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25,000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **09.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाए।

1– कि प्रार्थी–अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात प्रत्येक माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

2– कि प्रार्थी–अभियुक्त का पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थी–अभियुक्त के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलता है तो वह इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता, जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देगा।

9. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करे।

(BHUWAN GOYAL),J

MOHIT/ 42